

न्यायालय:-द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, तहसील बैहर, जिला

बालाघाट (म0प्र0)

समक्ष:-दिलीप सिंह

वि.आप.प्रक.क./सक्सेशन क.-11/2015

संस्थित दिनांक-20.02.2015

फाईलिंग नम्बर-300188/2015

- 1- श्रीमति मुलियाबाई उम्र 68 वर्ष पति स्व. बेलनसिंह मेरावी,
- 2- ईश्वरसिंह उम्र 41 वर्ष पिता स्व. बेलनसिंह मेरावी,
- 3- संतोष उम्र 35 वर्ष पिता स्व. बेलनसिंह मेरावी,
तीनों जाति गोंड निवासी वार्ड नं.09 बंजारीटोला(पौनी)
तहसील बिरसा जिला बालाघाट म.प्र.।
- 4- श्रीमति मीनाक्षी उम्र 50 वर्ष पति बाबूलाल मरकाम जाति गोंड
निवासी ग्राम झलमला तहसील व जिला कवर्धा (छ0ग0)
- 5- श्रीमति आरती उम्र 46 वर्ष पति वीरेन्द्र उइके जाति गोंड
निवासी ग्राम भीमजोरी तहसील बिरसा जिला बालाघाट म.प्र.
- 6- श्रीमति चंद्रकला उम्र 43 वर्ष पति नरेन्द्र उइके जाति गोंड
निवासी ग्राम आमगांव तहसील बैहर जिला बालाघाट म.प्र.
- 7- श्रीमति प्रेमलता उम्र 39 वर्ष पति दशरथ धुर्वे जाति गोंड
निवासी ग्राम सुरवाही तहसील बिरसा जिला बालाघाट म.प्र.
- 8- श्रीमति सुमनबाई उम्र 33 वर्ष पति हंसलाल उइके जाति गोंड
निवासी ग्राम नेवरगांव(मलाजखण्ड) तह. बिरसा जिला बालाघाट म.प्र.
- 9- श्रीमति कुमुन्दबाई उम्र 27 वर्ष पति तीरेन्द्र कुशरे जाति गोंड
निवासी ग्राम माना तहसील बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

आवेदकगण

// विरुद्ध //

सर्वसाधारण

अनावेदक

आवेदकगण द्वारा- : श्री वैभव मिश्रा अधिवक्ता।

प्रतिवादीगण द्वारा- : एकपक्षीय।

// आदेश //

(आज दिनांक-29/07/2017 को पारित)

- 1- इस आदेश द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, का निराकरण किया जा रहा है।

2— आवेदकगण का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक क01 के पति एवं आवेदक क 02 से 08 के पिता बेलनसिंह मेरावी मेरावी कृषि विकास अधिकारी के पद पर बाहकल तहसील बिरसा जिला बालाघाट में पदस्थ थे। जिनकी दिनांक 04.09.2005 को मृत्यु हो चुकी है। बेलनसिंह की मृत्यु के पश्चात आवेदन पत्र की विवरण सूची के अनुसार आवेदकगण मृतक बेलनसिंह की वारसान हैं। बेलनसिंह मेरावी की दो पत्नी मुलियाबाई एवं मेहतरीनबाई थी जिनमें से मेहतरीनबाई की मृत्यु दिनांक 23.04.2009 को हो चुकी है। उपरोक्त सभी वारसान स्व. बेलनसिंह के विधिवत उत्तराधिकारी हैं, इनके अलावा मृतक के अन्य कोई वारसान नहीं हैं। आवेदक क 04 लगायत 09 का विवाह होकर वह अपने-अपने ससुराल में निवास करते हैं और आवेदक क 01 लगायत 03 सभी संयुक्त परिवार में निवास करते हैं। मृतक बेलनसिंह मेरावी द्वारा अपने नाम से उप डाकघर मलाजखण्ड से-किसान विकास पत्र क्रय किये थे जिनका उल्लेख आवेदन के पैरा-3 में पंजीकरण संख्या दिनांक राशि सहित है। बेलनसिंह द्वारा जो किसान विकास पत्र क्रय किये थे उनकी कुल राशि-1,20,000/-रुपये है। उनकी परिपक्वता अवधि पूर्ण हो चुकी है और आवेदकगण बेलनसिंह मेरावी की मृत्यु पश्चात उनके नाम से क्रय किये गये उक्त किसान विकास पत्र की सम्पूर्ण राशि मय ब्याज के प्राप्त करना चाहते हैं। जिसके लिए संबंधित उप-डाकघर मलाजखण्ड में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसके दावा प्रकरण को भारतीय डाक विभाग कार्यालय अधीक्षक बालाघाट संभाग बालाघाट भेजा गया था। दावा राशि एक लाख रुपये से अधिक होने के कारण भारतीय डाक विभाग कार्यालय अधीक्षक बालाघाट संभाग बालाघाट द्वारा पत्र क-2-PC/09-10 बालाघाट दिनांक 28.06.2010 द्वारा जारी किया गया था जिस संदर्भ में उप-डाकघर मलाजखण्ड द्वारा प्रेषित पत्र क- DC/Claim case/09-10 मलाजखण्ड दिनांक 06.07.2010 के द्वारा आवेदकगण से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांगा गया है। आवेदकगण मृतक के वैध वारसान एवं विधिक उत्तराधिकारी हैं। आवेदकगण ने मृतक बेलनसिंह मेरावी के नाम से उप-डाकघर मलाजखण्ड में पंजीकृत किसान विकास पत्र की राशि 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार रुपये) मय ब्याज के आवेदकगण को दिलाये जाने के लिए उन्हें उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिये जाने का निवेदन किया है।

3— आवेदकगण के आवेदन के आधार पर सर्वसाधारण/अनावेदक की ओर से आपत्ति पेश करने हेतु जाहिर सूचना दैनिक समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" में दिनांक 04.04.2015 को आवेदकगण के व्यय पर प्रकाशित कराई गई थी, किन्तु नियत अवधि के उपरांत अनावेदक/सर्वसाधारण की ओर से आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई थी और न ही कोई उपस्थित हुआ था। अतः अनावेदक/सर्वसाधारण के विरुद्ध दिनांक 15.06.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी।

4— प्रकरण में निम्न विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होते हैं:-

1. क्या आवेदकगण आवेदन पत्र के पैरा-03 में उल्लेखित मृतक बेलनसिंह मेरावी के किसान विकास पत्रों की राशि 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार रुपये) मय ब्याज के प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

साकारण निष्कर्ष के आधार

विचारणीय बिंदु क-01 का निराकारण:-

5— मुलियाबाई आ.सा.01 ने स्वयं के मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में बताया है कि उसके पति बेलनसिंह कृषि विकास अधिकारी के पद पर बाहकल तहसील बिरसा जिला बालाघाट में पदस्थ थे। जिनकी मृत्यु दिनांक 04.09.2015 को हो गयी है। उक्त साक्षी के पति की मृत्यु के पश्चात इस साक्षी के पति के वारसान पुत्री मीनाक्षी, पुत्र संतोष है एवं साक्षी के पति की दूसरी पत्नि मेहतरीनबाई फौत हो गयी है। उनकी पुत्रियां आरती, चंद्रकला, प्रेमलता, सुमनबाई, उमाबाई एवं साक्षी स्वयं है। इसके अतिरिक्त साक्षी के पति का कोई विधिक वारसान नहीं है। इस साक्षी के पति की दो पत्नियां मेहतरीनबाई एवं साक्षी स्वयं है। साक्षी के पति की दूसरी पत्नि मेहतरीनबाई की दिनांक 23.04.2009 को मृत्यु हो गयी है। साक्षी के पति बेलनसिंह द्वारा उनके जीवनकाल में स्वयं के नाम से उप डाकघर मलाजखण्ड में किसान विकास पत्र क्र. 47CD 002320 पंजीकरण संख्या-3683 दिनांक 20.09.2004 राशि-10,000/-रुपये, किसान विकास पत्र क्र. 47CD 002321 पंजीकरण संख्या-3683 दिनांक 20.09.2004 राशि-10,000/-रुपये, किसान विकास पत्र क्र. 47CD 002322 पंजीकरण संख्या-3683 दिनांक 20.09.2004 राशि-10,000/-रुपये, किसान विकास पत्र क्र. 47CD 002323 पंजीकरण संख्या-3683 दिनांक 20.09.2004 राशि-10,000/-रुपये, किसान विकास पत्र क्र. 47CD 002326 पंजीकरण संख्या-3685 दिनांक 21.09.2004 राशि-10,000/-रुपये, किसान विकास पत्र क्र. 47CD 002327 पंजीकरण संख्या-3685 दिनांक 21.09.2004 राशि-10,000/-रुपये, किसान विकास पत्र क्र. 47CD 002328 पंजीकरण संख्या-3685 दिनांक 21.09.2004 राशि-10,000/-रुपये, किसान विकास पत्र क्र. 47CD 002329 पंजीकरण संख्या-3685 दिनांक 21.09.2004 राशि-10,000/-रुपये, किसान विकास पत्र क्र. 47CD 002330 पंजीकरण संख्या-3686 दिनांक 22.09.2004 राशि-10,000/-रुपये, किसान विकास पत्र क्र. 47CD 002331 पंजीकरण संख्या-3686 दिनांक 22.09.2004 राशि-10,000/-रुपये, किसान विकास पत्र क्र. 47CD 002332 पंजीकरण संख्या-3686 दिनांक 22.09.2004 राशि-10,000/-रुपये, किसान विकास पत्र क्र. 47CD 002333 पंजीकरण संख्या-3686 दिनांक 22.09.2004

राशि-10,000/-रूपये के क़य किये गये थे। आवेदिका के पति द्वारा कुल 1,20,000/-रूपये के किसान विकास पत्र क़य किये गये थे। जिनकी परिपक्वता अवधि पूर्ण हो गयी है। बेलनसिंह की मृत्यु होने के कारण उनकी वारसान किसान विकास पत्र की सम्पूर्ण राशि मय ब्याज के प्राप्त करना चाहते हैं। जिसके लिए उप-डाकघर मलाजखण्ड में आवेदन पत्र किया था। किसान विकास पत्र की राशि एक लाख रूपये से अधिक थी। इस कारण उप-डाकघर मलाजखण्ड द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग की गयी है। मुलियाबाई की साक्ष्य का समर्थन उसके पुत्र ईश्वरसिंह आ.सा.02 ने उसकी साक्ष्य में किया है। आवेदकगण द्वारा एक लाख बीस हजार रूपये के किसान विकास पत्र प्र.पी.01 लगायत 12, मृत्यु दावा प्रकरण में निष्पादित पत्र की कार्बन प्रति प्र.पी.13, बेलनसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र प्र.पी.14, मेहतरीनबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र प्र.पी.15, चंद्रकला, कुमत् मेरावी, प्रेमकला, मीनाक्षी, कु.आरती के शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्र.पी.16 लगायत 20 प्रस्तुत किये हैं।

6— प्रकरण में आवेदिका एवं उसकी साक्ष्य पर अनावेदक पक्ष की ओर से कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। प्र.पी.13 के दस्तावेजों में यह उल्लेखित है कि किसान विकास पत्र के द्वारा 1,20,000/- रूपये की राशि जमा है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही दावा का निराकरण किया जा सकेगा। इसके लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांगा गया है। बेलनसिंह व मेहतरीनबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र क्रमशः प्र.पी.14 प्र.पी.15 से यह स्पष्ट है कि बेलनसिंह एवं उसकी दूसरी पत्नि मेहतरीनबाई की मृत्यु हो गयी है। आवेदकगण उनके वारसान हैं। आवेदकगण की साक्ष्य का समर्थन उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये 01 लगायत 20 के दस्तावेजों से होता है। अनावेदक के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने से आवेदकगण की साक्ष्य का खण्डन नहीं किया गया है। उक्त परिस्थिति आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि आवेदकगण द्वारा इस आशय के शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कि भविष्य में मृतक बेलनसिंह मेरावी के किसान विकास पत्रों की राशि के बाबत कोई क्लेम प्रस्तुत किये जाने पर वह किसान विकास पत्रों की राशि न्यायालय में जमा करने के बंधनकारी होंगे। आवेदकगण द्वारा न्याय शुल्क प्राप्त किये जाने पर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

7— अतः आवेदकगण की ओर से पेश किया गया आवेदन पत्र धारा-372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 का स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मृतक बेलनसिंह के वारिसों की घोषणा किये बगैर उसके नाम से क़य किये गये किसान विकास पत्र क्र. 47CD 002320 पंजीकरण संख्या-3683 दिनांक 20.09.2004 राशि-10,000/-रूपये, किसान विकास पत्र क्र. 47CD 002321 पंजीकरण संख्या-3683 दिनांक 20.09.2004

राशि-10,000/-रुपये, किसान विकास पत्र क्र. 47CD 002322 पंजीकरण संख्या-3683 दिनांक 20.09.2004 राशि-10,000/-रुपये, किसान विकास पत्र क्र. 47CD 002323 पंजीकरण संख्या-3683 दिनांक 20.09.2004 राशि-10,000/-रुपये, किसान विकास पत्र क्र. 47CD 002326 पंजीकरण संख्या-3685 दिनांक 21.09.2004 राशि-10,000/-रुपये, किसान विकास पत्र क्र. 47CD 002327 पंजीकरण संख्या-3685 दिनांक 21.09.2004 राशि-10,000/-रुपये, किसान विकास पत्र क्र. 47CD 002328 पंजीकरण संख्या-3685 दिनांक 21.09.2004 राशि-10,000/-रुपये, किसान विकास पत्र क्र. 47CD 002329 पंजीकरण संख्या-3685 दिनांक 21.09.2004 राशि-10,000/-रुपये, किसान विकास पत्र क्र. 47CD 002330 पंजीकरण संख्या-3686 दिनांक 22.09.2004 राशि-10,000/-रुपये, किसान विकास पत्र क्र. 47CD 002331 पंजीकरण संख्या-3686 दिनांक 22.09.2004 राशि-10,000/-रुपये, किसान विकास पत्र क्र. 47CD 002332 पंजीकरण संख्या-3686 दिनांक 22.09.2004 राशि-10,000/-रुपये, किसान विकास पत्र क्र. 47CD 002333 पंजीकरण संख्या-3686 दिनांक 22.09.2004 राशि-10,000/-रुपये कुल 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार रुपये) मय ब्याज के प्राप्त करने हेतु उस पर नियत स्टाम्प शुल्क पेश करने पर आदेश का प्रवर्तन जारी किया जावे एवं उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त होने वाली राशि पर सुरक्षा हेतु धारा-325 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अंतर्गत आवेदकगण की ओर से 1,20,000/-(एक लाख बीस हजार रुपये) का बंध पत्र इस आशय का पेश करने पर कि भविष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होने पर उक्त राशि यदि और कोई प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है तो उक्त राशि न्यायालय में वह अविलम्ब जमा करायेंगे। अतः तदनुसार आवेदकगण के पक्ष में मृतक बेलनसिंह के नास से उप-डाकघर मलाजखण्ड से आवेदन के पैरा-03 में उल्लेखित क्रय किये गये किसान विकास पत्रों की राशि मय ब्याज आदि के प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

8- इस आवेदन पत्र का व्यय आवेदकगण स्वयं वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में पारित कर मेरे निर्देश पर टंकित किया।
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

(दिलीप सिंह)
द्वि.व्य.न्या.वर्ग-1,बैहर
तहसील बैहर, बालाघाट म0प्र0

(दिलीप सिंह)
द्वि.व्य.न्या.वर्ग-1,बैहर
तहसील बैहर, बालाघाट म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)